



**प्रेस नोट**  
**जनपद सीतापुर**  
**जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक:-21.11.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना रामकोट पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित किये गये जिला बदर अभियुक्त राजकिशोर पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम बण्डिया थाना रामकोट जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 600/22 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना रामकोट सीतापुर पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**पंजीकृत अभियोग-**मु0अ0सं0 600/22 धारा 10 UP गुण्डा निवारण अधिनियम थाना रामकोट सीतापुर।

**अभियुक्त का नाम/पता-** राजकिशोर पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम बण्डिया थाना रामकोट जनपद सीतापुर।

**अपराधिक इतिहास -** मु0अ0सं0- 614 /19 धारा 354 A /504 /506 भादवि थाना रामकोट सीतापुर

**पुलिस टीम थाना रामकोट-**

- 1.वरि0उ0 नि0 करुणेश सिंह
- 2.का0 लंकेश यादव
- 3.का0 शनी कुमार

